106

संख्या : /IV(2)–श0वि0–2014–34(सा0)12

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 27 अगस्त, 2014

विषयः राजीव आवास योजनान्तर्गत विभिन्न नगर निकायों हेतु भारत सरकार से प्राप्त धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 89/RAY/2014–15, दिनांक 04.06.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः G-20011/3/2014/BSUP(RAY)/JNNURM(FTS-10486), दिनांक 19.05.2014 द्वारा राजीव आवास योजनान्तर्गत राज्य की 05 नगर निकायों हेतु प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त धनराशि ₹1168.98 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजीव आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 04 नगर निकायों यथा– रूद्रप्रयाग, अगस्तमुनि, जोशीमठ एवं बाजपुर हेतु स्वीकृत परियोजना लागत क्रमशः ₹744.73 लाख, ₹1984.57 लाख, ₹1128.56 लाख एवं ₹1011.89 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में संलग्नक–1 में उल्लिखित विवरणानुसार केन्द्रांश एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश सहित कुल **₹1406.34 लाख (रूपये चौदह करोड़ छः लाख चौंतीस हजार मात्र)** की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **₹1406.34 लाख (रूपये चौदह करोड़ छः लाख चौंतीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्बन्धित नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि नगर निकायों को 03 किस्तों (प्रति किस्त 1/3) में उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि हेतु नगर निकाय द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का एक संयुक्त खाता खोला जायेगा, जिसमें इस योजना की धनराशि को पृथक से रखा जायेगा।

(iii) शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपरोक्त कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त निर्माण कार्य की प्रगति एवं गुणवत्ता से पूर्ण संस्तुष्ट होने के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

(iv) योजनान्तर्गत आवासों का निर्माण इन्दिरा आवास योजना के पैटर्न पर लाभार्थियों के माध्यम से कराया जायेगा, जिस हेतु नगर निकाय द्वारा लाभार्थी का खाता खुलवाया जायेगा, जिसमें नगर निकाय द्वारा निम्नानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी:–

प्रथम किस्त	कार्य शुरू होने से पहले।	भवन लागत का 10 प्रतिशत।
द्वितीय किस्त	भवन निर्माण प्लिन्थ लेवल तक पूर्ण होने पर।	भवन लागत का 30 प्रतिशत।
तृतीय किस्त	भवन में लेन्टर पड़ जाने पर।	भवन लागत का 40 प्रतिशत।
चतुर्थ किस्त	भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर।	भवन लागत का 20 प्रतिशत।

..2/-....

(v) योजनान्तर्गत भवन निर्माण कार्यों का स्थलीय एवं भौतिक निरीक्षण अधिशासी अधिकारी एवं निकाय के अवर अभियन्ता द्वारा किये जाने के उपरान्त संस्तुति सहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही नगर निकाय द्वारा आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

(vi) उक्त धनराशि शहरी विकास विभाग के अनुदान संख्या–13 सामान्य बजट, अनुदान संख्या–30 अनुसूचित जाति उपयोजना बजट एवं अनुदान संख्या–31 अनुसूचित जनजाति उपयोजना बजट से स्वीकृत की जा रही है। अतएव वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक–पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(vii) नगर निकायों द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत अवस्थापना कार्यों को नगर निकाय द्वारा शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड की तकनीकी शाखा (इंजीनियरिंग विंग) के अनुश्रवण में सम्पादित किये जायेंगे। निदेशालय की तकनीकी शाखा की संस्तुति के आधार पर ही नगर निकाय द्वारा अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों हेतु भुगतान किया जायेगा।

(viii) भारत सरकार द्वारा नामित TIPMA (Third Party Independent Monitoring Agency) की निरीक्षण आख्या का निदेशालय द्वारा परीक्षण किया जायेगा। उक्त आख्या में रेखांकित कमियों को दूर कराने के उपरान्त ही आगामी किस्ते निदेशालय द्वारा अवमुक्त की जायेंगी।

(ix) सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक निर्माण कार्य का प्रगति विवरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों व I-POMS पर शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(x) **योजनान्तर्गत निर्धारित लाभार्थी अंश का भुगतान लाभार्थी द्वारा एवं नगर निकाय अंश का वहन नगर निकाय द्वारा स्वयं किया जायेगा।**

(xi) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(xii) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए एवं निर्माण कार्य पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये।

(xiii) योजना के सम्बन्ध में हुई सीएसएमसी की तृतीय एवं सातवीं बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।

(xv) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में अवस्थापना सम्बन्धी कार्यों हेतु ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(xvi) **योजनान्तर्गत बनाये जाने वाले कुल आवासों में अनुसूचित जाति के न्यूनतम 19 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 04 प्रतिशत व्यक्तियों को अवश्य ही लाभान्वित किया जायेगा।**

(xvii) धनराशि का दिनांक 31–3–2015 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

3– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–08–राजीव आवास योजना–'20

..3/–..

सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ **1111.00 लाख**, अनुदान सं0–30 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–07–राजीव आवास योजना–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ **253.14 लाख,** तथा अनुदान सं0–31 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–07–राजीव आवास योजना–'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹ **42.20 लाख** डाला जाएगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्रसं0– 240/XXVII(2)/2014, दिनांक 24.08.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

5– यह आदेश शासनादेश सं0–80/अ0मु0स0/पी0एस0/2014–15, दिनांक 23.04.2014 में निर्धारित व्यवस्था का अनुपालन करते हुए जारी किया जा रहा है।

6– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.14081301 37., S.1408300138. एवं S.14083101 39... के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0–1342(1)/IV(2)-श0वि0–2014, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारी।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः 1342/IV(2)-शा0वि0–2014–34(सा0)12, दिनांक अगस्त, 2014 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र. सं.	निकाय का नाम	कुल स्वीकृत परियोजना लागत	निर्मित होने वाले भवनों की संख्या	भारत सरकार द्वारा प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि	भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष देय राज्यांश	कुल स्वीकृत धनराशि (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	नगर पंचायत, रूद्रप्रयाग	744.73	95	152.00	34.12	186.12
2.	नगर पंचायत, अगस्तमुनि	1984.57	204	326.40	152.87	479.27
3.	नगर पंचायत, जोशीमठ	1128.56	150	240.00	143.12	383.12
4.	नगर पंचायत, बाजपुर	1011.89	190	297.00	60.83	357.83
योग–		**4869.75**	**639**	**1015.40**	**390.94**	**1406.34**

(रूपये चौदह करोड़ छः लाख चौंतीस हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।